**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1559**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि**

**1559. डा॰ अमी याज्ञिकः**

**श्री राजमणि पटेलः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिशत के आधार पर पेट्रोल, डीजल और संपीडित प्राकृतिक गैस (सी॰एन॰जी॰) की कीमतों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल की बढ़ती खपत का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो प्रतिशत के रूप में उक्त खपत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है और क्या मांग में वृद्धि कीमतों में वृद्धि के अनुरूप है; और

(ग) क्या सरकार का पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और सी॰एन॰जी॰ की कीमतों में समानता लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के लिए पेट्रोल और डीजल के औसत मूल्‍य और प्रतिशत वृद्धि निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | पेट्रोल  (रु./लीटर) | विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि | डीजल  (रु./लीटर) | विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
| 2016-17 | 64.61 | 4.9 | 53.24 | 13.25 |
| 2017-18 | 69.20 | 7.1 | 58.78 | 10.41 |
| 2018-19 | 75.37 | 8.9 | 68.22 | 16.06 |

प्राकृतिक गैस का बुनियादी मूल्‍य नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्‍य निर्धारण दिशा निर्देश 2014 के अनुसार छमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में बुनियादी मूल्‍य 2.50 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू से बढ़कर यूएस 3.23 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू हो गया है जिसमें 29% भी वृद्धि हुई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल की खपत के ब्‍यौरे नीचे दिए गए हैं-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वित्त वर्ष | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| पेट्रोल की खपत (टीएमटी में) | 23765 | 26174 | 28284 |
| % वृद्धि | 9\* | 10 | 8 |

\*वर्ष 2015-16 के दौरान, पेट्रोल की खपत (टीएमटी में) 21847 थी।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्‍यों को क्रमश: 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से,  सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कं‍पनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्‍ट्रीय उत्पाद मूल्‍यों  तथा अन्‍य बाजार दशाओं के अनुरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्‍य निर्धारण के संबंध में उपयुक्‍त निर्णय लेती हैं।  सीजीडी कंपनियों द्वारा सीएनजी का खुदरा मूल्‍य राज्‍य करों, सीमा शुल्‍क और अन्‍य घटकों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है।

\*\*\*\*\*